# कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

संख्याः 581 /नाजिर सदर–2019, दिनांक 27.9.2019

## ऑन लाइन निविदा

जनपद शामली की तहसीलों में नायब तहसीलदारों के उपयोगार्थ 03 वाहन स्कार्पियो, बलेरो डीजल चालित ए0सी0/नॉन ए0सी0 ऊँचा माडल अच्छी कन्डीशन की आवश्यकता है, जो निर्धारित नियमो/शासनादेश के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराते हुए रखी जायेगी, जिनको रखें जाने हेतु ऑनलाइन निविदा (http://etender.up.nic.in) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं से दिनांक 02.10.2019 के अपराह्न 04:00 बजें तक आमंत्रित की जाती है। उक्त ई–निविदा की टेक्निकल बीड अधोहस्ताक्षरी के कार्यकक्ष में गठित समिति के समक्ष तथा उपस्थित निविदादाता संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 03.10.2019 को प्रातः 11:00 बजें टेक्निकल बिड खोली जायेंगी तथा फाइनेन्शयल बिड समिति द्वारा निर्धारित तिथि में खोली जायेगी।

ऑन लाइन निविदा के साथ संस्था को पिछले एक वर्ष की आई0टी0आर0 व जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति तथा धरोहर धनराशि अंकन–10,000/–रुपये का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी शामली के पक्ष में बनवाकर ऑन लाइन अपलोड कराना होगा। धरोहर धनराशि अंकन– 10,000/–रुपये का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रुप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसमें किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नही है। अन्यथा की दशा में सम्बंधित संस्था को निविदा प्रकिया में शामिल नही किया जायेगा। एक या समस्त निविदाओं को बिना कराण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी शामली को होगा।

1–यह निविदा सूचना वेबसाइट (http://etender.up.nic.in) राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2–निविदादाता द्वारा वेबसाइट (http://etender.up.nic.in) पर ऑन लाइन निविदा दिनांक 27.9.2019 को सायः 4:00 बजें से दिनांक 02.10.2019 को सायः 4:00 बजें तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकेगी। दिनांक 03.10.2019 को प्रातः 11:00 बजें टेक्निकल बिड तथा उसी दिन फाइनेन्शल बिड दोपहर 12:00 बजें कलेक्ट्रेट कार्यालय शामली में खोली जायेगी।

3–आपूर्ति आदेश निर्गत होने के उपरांत कार्यदायी संस्था द्वारा 03 दिवस में वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

4–कार्यदायी संस्था द्वारा सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने के पश्चात भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

5–किसी विवाद की स्थिति में समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

6–धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य है, बिना धनराशि के प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

7–उक्त वाहन पूर्णतः अस्थाई तौर पर रखे जायेगा, जिसको कभी भी बिना सूचना के हटाये जाने का अधिकार जिलाधिकारी शामली को होगा।

(अरविन्द कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–पुलिस अधीक्षक, महोदय शामली को सूचनार्थ तथा नोटिस बोर्ड पर चश्पा कराये जाने हेतु।

3–मुख्य विकास अधिकारी शामली/मुख्य चिकित्साधिकारी शामली महोदय को सूचनार्थ तथा नोटिस बोर्ड पर चश्पा कराये जाने हेतु ।

4–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद शामली।

5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शामली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

6–नाजिर सदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति कलेक्ट्रेट कार्यालय के नोटि बोर्ड पर चश्पा करें।

7–निविदा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8–जिला सूचनाधिकारी शामली को दैनिक समाचार पत्रो में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।

(अरविन्द कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
शामली।

Scanned by CamScanner